राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1170/2011/जोधपुर
2. अपील संख्या 1171/2011/जोधपुर

मैसर्स हैंगर एस0,
शिवरोड रातानाडा, जोधपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, जोधपुर।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   घट–तृतीय. वृत अ, जोधपुर। प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.पी.व्यास, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 35 एवं 34/आरवेट/जेयूए/09–10 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत–अ, जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 34 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03.11.2008 के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	विवादित राशि
1170/11	05–06	848 178
1171/11	05–06	5536 2167

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने रूपये 46300/– की बिक्री अधीक्षक, मेयो कॉलेज, अजमेर को कर मुक्त मद में दर्शाई परन्तु इस संबंध में विक्रय प्रमाण पत्र एवं घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर अधिनियम के तहत पारित आदेश में कर व ब्याज आरोपित किया गया। इसी प्रकार केविकअ के तहत पारित आदेश में भी अपील घोषणा प्रपत्र सी कीमतन रूपये 2400/– के अभाव में 8 प्रतिशत से कर तथा राजकीय विभाग को डी फार्म पर की गई बिक्री रूपये 16400/– पर 4 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया तथा देय कर जमा नहीं कराने के कारण ब्याज आरोपित

लगातार.....2

किया गया। सशक्त अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2008 द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध मांगे सृजित की, जिसके विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2011 द्वारा व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज विधि सम्मत नहीं है क्योंकि अपीलार्थी महिला उद्यमी है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स वन्दना सीमेन्ट प्रोडक्ट भीलवाडा बनाम उपायुक्त (प्रशासन), भीलवाडा दिनांक 04.03.2008 21 टैक्स अपडेट पार्ट प्रथम पेज 50 को उद्धरित किया एवं अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के दोनों आदेशों का समर्थन किया एवं उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, लिखित बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा दिनांक 20.10.2004 को महिला उद्यमी के अंतर्गत कर मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को उपायुक्त प्रशासन, जोधपुर द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृत आदेश की पालना में महिला को उद्यमी के संबंध में प्राप्त होने वाले लाभ हेतु हकदार नहीं माना। उक्त प्रकरण माननीय कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स वन्दना सीमेन्ट प्रोडक्ट भीलवाडा बनाम उपायुक्त (प्रशासन), भीलवाडा दिनांक 04.03.2008 21 टैक्स अपडेट पार्ट प्रथम पेज 50 के तथ्य उक्त प्रकरण से भिन्न है। मै0 वन्दना सीमेण्ट में उपायुक्त प्रशासन के आदेश को चुनौती दी गई है जबकि उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई है। अतः उक्त सिद्धान्त उक्त प्रकरण में लागू नहीं होते है।

8. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य